न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), फलौदी
बइजलास – डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 17/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हीरा पत्नि बलवन्ताराम		1. मोहनराम पुत्र चिमाराम
2. श्रवणराम पुत्र बलवन्ताराम		2. सुगनी पत्नी किशनाराम
3. सुवादेवी पत्नि राजूराम		3. अशोक कुमार पुत्र किशनाराम
4. संगीता पत्नि श्रवणराम		4. सुनिल पुत्र किशनाराम
5. गोरधनराम पुत्र जयराम		5. अनीता पुत्री किशनाराम
6. चावली पत्नि अमराराम		6. कविता पुत्री किशनाराम
7. श्रीराम पत्नि अमराराम		7. संगीता पुत्री किशनाराम
8. सुनिल कुमार पुत्र अमराराम		सभी जाति विश्नोई
9. कुनाराम पुत्र चिमाराम		निवासी–कालीराणानगर
10. केलीदेवी पत्नी गोरधनराम		तहसील– फलोदी
सभी जाति– विश्नोई		जिला– जोधपुर
निवासी–कालीराणानगर		8.सरपंच ग्राम पंचायत कालीराणानगर
तहसील– फलोदी		9.मुख्य चिकित्साधिकारी खण्ड,फलोदी
जिला–जोधपुर (राज.)		10. शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी शाखा आऊ
		11. श्रीमान् तहसीलदार फलोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–
श्री प्रवीण कुमार मदरेणा अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय दिनांक :– 13/01/23

वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार फलौदी को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तहरीर जारी की गयी जिसकी पालना में तहसीलदार फलौदी ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया अधिवक्ता वादी ने विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने पर सहमती प्रदान की। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया वाद अवलोकन वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है अतः वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है ग्राम कालीराणानगर पटवार क्षेत्र भोजासर तहसील फलोदी के खेत खसरा संख्या 134 रकबा 23.05 बीघा व खसरा संख्या 94 रकबा 37 बीघा कुल 60.05 बीघा भूमि दर्ज है। खसरा संख्या 94 में से रकबा 5.3239 है. भूमि में वादीगण संख्या 01, 02 व 05 ता 10 के हिस्से निम्नानुसार रखे जाते है, वादीगण संख्या 01, 02 प्रत्येक का 4575/53239–4575/53239 हिस्सा, वादीगण संख्या 05 का 24955/53239 हिस्सा किस्म बी–1, वादीगण संख्या 06 ता 08 प्रत्येक का 4160/53239 हिस्सा किस्म बी–1, वादीगण संख्या 09, 10 प्रत्येक का 3327/53239 हिस्सा किस्म, तथा खसरा संख्या 134 में से रकबा 3.1361 है. भूमि में वादीगण संख्या 01 ता 08 के हिस्से निम्नानुसार रखे जाते है, वादीगण संख्या 01 का 9402/31361 हिस्सा, वादीगण संख्या 02 का 11506/31361 हिस्सा किस्म बी–1, वादीगण संख्या 03, 04 प्रत्येक का 2091/31361 हिस्सा किस्म बी–1, वादीगण संख्या 05 का 3136/31361 हिस्सा किस्म बी–1, वादीगण संख्या 06 ता 08 प्रत्येक का 1045/31361 हिस्सा किस्म बी–1, खसरा संख्या 94 में से रकबा 0.3327 है. एवं खसरा संख्या 134 में से रकबा 0.2091 है. प्रति. संख्या 02 ता 07 के बंट में संयुक्त रूप से रखा जाता है, खसरा संख्या 94 में से रकबा 0.3327 है. एवं खसरा संख्या 134 में से रकबा 0.2091 है. प्रति. संख्या 01 के बंट में, खसरा संख्या 134 में से रकबा 0.0809 है. प्रति. संख्या 09 के हिस्से में, तथा खसरा संख्या 134 में से रकबा 0.1284 है. प्रति. संख्या 08 के हिस्से में भूमि माफिक विभाजन प्रस्ताव में नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है। तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। माफिक आदेश अंतिम डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/01/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),फलौदी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) फलौदी

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी
बइजलास डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हीरा पत्नि बलवन्ताराम		1. मोहनराम पुत्र चिमाराम
2.श्रवणराम पुत्र बलवन्ताराम		2.सुगनी पत्नी किशनाराम
3. सुवादेवी पत्नि राजूराम		3.अशोक कुमार पुत्र किशनाराम
4. संगीता पत्नि श्रवणराम		4.सुनिल पुत्र किशनाराम
5. गोरधनराम पुत्र जयराम		5.अनीता पुत्री किशनाराम
6. चावली पत्नि अमराराम		6.कविता पुत्री किशनाराम
7. श्रीराम पत्नि अमराराम		7.संगीता पुत्री किशनाराम
8. सुनिल कुमार पुत्र अमराराम		सभी जाति विश्नोई निवासी–कालीराणानगर तहसील– फलोदी जिला– जोधपुर
9. कुनाराम पुत्र चिमाराम		8.सरपंच ग्राम पंचायत कालीराणानगर
10. केलीदेवी पत्नी गोरधनराम सभी जाति– विश्नोई निवासी–कालीराणानगर तहसील– फलोदी जिला–जोधपुर (राज.)		9.मुख्य चिकित्साधिकारी खण्ड,फलोदी
		10. शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी शाखा आऊ
		11. श्रीमान् तहसीलदार फलोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 17/2021
जीसीएमएस 2021/27

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री प्रवीण कुमार मदरेणा वादी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम कालीराणानगर पटवार क्षेत्र भोजासर तहसील फलोदी के खेत खसरा संख्या 134 रकबा 23.05 बीघा व खसरा संख्या 94 रकबा 37 बीघा कुल 60.05 बीघा भूमि दर्ज है। खसरा संख्या 94 में से रकबा 5.3239 है. भूमि में वादीगण संख्या 01, 02 व 05 ता 10 के हिस्से निम्नानुसार रखे जाते है, वादीगण संख्या 01, 02 प्रत्येक का 4575/53239–4575/53239 हिस्सा, वादीगण संख्या 05 का 24955/53239 हिस्सा किस्म बी–1, वादीगण संख्या 06 ता 08 प्रत्येक का 4160/53239 हिस्सा किस्म बी–1, वादीगण संख्या 09, 10 प्रत्येक का 3327/53239 हिस्सा किस्म, तथा खसरा संख्या 134 में से रकबा 3.1361 है. भूमि में वादीगण संख्या 01 ता 08 के हिस्से निम्नानुसार रखे जाते है, वादीगण संख्या 01 का 9402/31361 हिस्सा, वादीगण संख्या 02 का 11506/31361 हिस्सा किस्म बी–1, वादीगण संख्या 03, 04 प्रत्येक का 2091/31361 हिस्सा किस्म बी–1, वादीगण संख्या 05 का 3136/31361 हिस्सा किस्म बी–1, वादीगण संख्या 06 ता 08 प्रत्येक का 1045/31361 हिस्सा किस्म बी–1, खसरा संख्या 94 में से रकबा 0.3327 है. एवं खसरा संख्या 134 में से रकबा 0.2091 है. प्रति. संख्या 02 ता 07 के बंट में संयुक्त रूप से रखा जाता है, खसरा संख्या 94 में से रकबा 0.3327 है. एवं खसरा संख्या 134 में से रकबा 0.2091 है. प्रति. संख्या 01 के बंट में, खसरा संख्या 134 में से रकबा 0.0809 है. प्रति. संख्या 09 के हिस्से में, तथा खसरा संख्या 134 में से रकबा 0.1284 है. प्रति. संख्या 08 के हिस्से में भूमि माफिक विभाजन प्रस्ताव में नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है। तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी

मुतालिक बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।

वसूली याबी तक बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 0 सन् 23 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर फर्स्ट ट्रैक फलोदी

दस्तखत सहायक कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) फलोदी

ओहदा

मोहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प	–	–
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
मेहनतनामा वकील			मेहनतनामा वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मिजान			मिजान		

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।